**-:प्रेस नोट:-**

**दिनांक- 06.08.2026**

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में वर्ष-2020 में पत्नी द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर पति के ऊपर तेजाब डालने व अपहरण करने के मामले में 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 07-07 वर्ष के कारावास व कुल 24 हजार रुपये जुर्मानें की सजा ।**

**विवरण** – पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2020 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हथौड़ा में पत्नी द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर पति के ऊपर तेजाब डालने व अपहरण करने के मामले में 02 अभियुक्तों को कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब है कि दिनांक 31.10.2020 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत पत्नी द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर अपने पति पर तेजाब डालकर मारपीट कर तथा उसका अपहरण कर चार पहिया वाहन में डालकर चित्रकूट पुलिया पर फेंक देने के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 269/2020 धारा 364/326-A भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री विजय कुमार ओझा द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 06.12.2020 आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। विशेष लोक अभियोजक श्री बसन्त शिवहरे, श्री शशिभूषण श्रीवास्तव व लोक अभियोजक श्री देवदत्त मिश्रा द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी अमित कुमार व आरक्षी रजनीकन्त तथा पैरोकार आरक्षी रामनरेश के अथक प्रयासों से दोनों अभियुक्तों को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा 07-07 वर्ष के कारावास व कुल 24 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

**अभियुक्त-**

1. संतोषी पत्नी महेन्द्र निवासी ग्राम फफूँदी थाना बबेरू जनपद बांदा।
2. प्रधान पुत्र सत्यप्रकाश निवासी ग्राम दोहा थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।